

30/11/22 पत्रावली पेशा हुई। प्रतियादी सं. 1 की ओर से
अधिकता उप। वादीगण एवं वादीगण की ओर से
कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज
लगाने के - वापजूद ~~प्र~~ वारी एवं वादी के
अधिकता अनुपस्थित रहे। वादीगण एवं अधिकता
अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को आगे चलाने के प्रति
जोश्वीर नहीं होने के कारण प्रार्थी का वाद पर
अदम दायरी एवं अदम पैरवी में स्थानज त्रिपा
जाता है। निर्णय आज दिनांक 30/11/2022 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभ्राट
टोकट वाद लेख गणार ही।

उप जि. न्यायालय
लवाण

